खुशवंत सिंह सेठी
संयुक्त सचिव
K.S. SETHI
Joint Secretary

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार
11वीं मंजिल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग,
25, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110001
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
11th Floor, Jeevan Prakash Building
25, K.G. Marg, New Delhi-110001

अ.शा.प. सं. एम-11015/289/2021-एफडी **16 सितंबर, 2021**

प्रिय महोदया/महोदय,

कृपया एमओपीआर के पत्र सं एन-11011 (iii)/1/2016-एफडी, दिनांक 20 जून, 2016 का संदर्भ लें, जिसकी एक प्रति संलग्न है। इस पत्र के द्वारा राज्यों को यह सूचित किया गया था कि सभी ग्राम पंचायतों में प्रमुख डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाने चाहिए, जिनमें उनके द्वारा शुरु किए गए कार्यों के संबंध में भौतिक और वित्तीय सभी प्रासंगिक विवरण प्रदर्शित किए जाएं और केंद्रीय वित्त आयोग (सीएफसी) अनुदानों के साथ किए गए कार्यों सहित उनको पूरा करने की समय-सीमा भी प्रदर्शित की जाए।

तथापि, पंचायती राज मंत्रालय के वरिष्ठ पदाधिकारियों/अधिकारियों द्वारा राज्यों के दौरों के दौरान यह देखा गया है कि केंद्रीय वित्त आयोग (सीएफसी) अनुदानों से किए गए कार्यों जैसे सड़कों/रास्ते, पानी की टंकियों/नल द्वारा जलापूर्ति, तालाबों, स्वच्छता कार्यों, स्ट्रीट लाइटों, सामुदायिक भवनों आदि स्थलों पर डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। इसके अलावा, सीएफसी अनुदान से विकास कार्यों/गतिविधियों सहित भारत सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में आम नागरिकों की जागरुकता का स्तर अभी भी कम है। इसलिए, सभी नागरिकों को इन योजनाओं के तहत उपलब्ध लाभों और संसाधनों के बारे में जागरुक करने के लिए अपेक्षित उपाय करना आवश्यक है, जिससे नागरिकों को सरकार द्वारा लगातार किए गए विभिन्न विकास और कल्याणकारी कदमों के बारे में जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा, नागरिकों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी देने से न केवल जागरुकता पैदा होगी, जिससे कि पात्र नागरिक योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त कर सकें, बल्कि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा मिलेगा।

इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि आपके राज्य में संबंधित पंचायतों/ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को समय-सीमा के साथ विशेष रूप से सीएफसी अनुदान का उपयोग करके कार्यान्वित कार्यों के संबंध में, उनके द्वारा किए गए कार्यों पर भौतिक और वित्तीय सभी प्रासंगिक विवरणों वाले डिस्प्ले बोर्ड प्रमुख स्थानों पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित किया जाए। ये बोर्ड मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों के संबंध में पंचायतों द्वारा लगाए गए बोर्डों के प्रारूप का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा, आरएलबी को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर सीएफसी अनुदान से निर्मित की गई सभी परिसंपत्तियों को जियो-टैग करना भी अनिवार्य है। इन निर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर उचित नियमित निगरानी का भी अनुरोध किया गया है। इस संबंध में राज्य में आरएलबी को जारी किए गए निर्देशों की एक प्रति इस मंत्रालय को भी रिकॉर्ड के लिए भेजी जाए।

सादर,

संलग्न: उपरोक्तानुसार

आपका,

(के. एस. सेठी)

अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, पंचायत पंचायती राज विभाग, सभी राज्य

दूरभाष सं..: 011-23753820, 011-23753821 (टैलीफैक्स), Email:jscb-mopr@gov.in,www.panchayat.gov.in

फा.सं. एन-11011 (iii)/1/2016-एफडी
भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय
(राजकोषीय विकेंद्रीकरण प्रभाग)

11वीं मंजिल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग,
के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001
20th जून, 2016

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
पंचायती राज विभाग,
सभी राज्य (*संलग्न सूची के अनुसार*)

विषय: जनता और लाभार्थियों की जानकारी के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों/गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत करना

महोदय/महोदया,

सार्वजनिक निधियों का उपयोग करने वाली ग्राम पंचायतों (जीपी) द्वारा "पारदर्शिता और जवाबदेही" लाने के लिए, यह आवश्यक है कि ग्राम पंचायतों द्वारा उपलब्ध सभी निधियों की प्राप्तियों और किए गए व्यय को सार्वजनिक किया जाए। चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों के मामले में भी, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 8-10-15 को जारी दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया था कि राज्य में लागू संगत नियमों, विनियम प्रक्रियाओं और कार्यविधियों के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा उचित योजनाएं तैयार किए जाने के बाद स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करने पर सभी व्यय खर्च करने चाहिए।

2. एफएफसी अनुदानों सहित विभिन्न योजनाओं के तहत निधियों का उपयोग करके निष्पादित किए जाने वाले विभिन्न कार्यों/गतिविधियों की योजनाओं के संरचन में ग्राम पंचायतों की सहायता करने के लिए, एमओपीआर द्वारा पत्र संख्या एम-11015/249/2015-डीपीई दिनांक 4 नवंबर, 2015 के माध्यम से दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों में, विभिन्न माध्यमों से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है, जिसमें "ग्राम पंचायत स्तर पर संसाधन संग्रह का व्यापक प्रकटीकरण", "अनुमोदित योजना और अपेक्षित परिणामों के विवरण का प्रकटीकरण", "ग्राम पंचायत में सुविधाजनक स्थानों पर दीवारों की पेंटिंग और सूचना बोर्ड स्थापित करना" और "सभी कार्यस्थलों पर नागरिक सूचना बोर्ड" स्थापित करना शामिल है।

3. उपर्युक्त के आलोक में, यह अनुरोध किया जाता है कि सभी राज्य सरकारें संबंधित ग्राम पंचायतों को सलाह दें कि वे स्थानीय आबादी और अन्य हितधारकों की सूचना और संवीक्षा के लिए एफएफसी अनुदानों का उपयोग करने वाले कार्यों सहित सभी योजनाओं के तहत सभी प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए समय-सीमा के साथ-साथ उनके द्वारा किए गए कार्यों/कार्यकलापों पर सभी प्रासंगिक विवरण, भौतिक और वित्तीय रूप से बोर्डों पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करें। राज्य में ग्राम पंचायतों को इस संबंध में जारी किए गए निर्देशों की एक प्रति इस मंत्रालय को भी रिकॉर्ड के लिए भेजी जाए।

भवदीय,

(एस. के. पटजोशी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय

संलग्नक: डिस्प्ले बोर्ड का सैम्पल टेम्प्लेट

ग्राम पंचायत क्षेत्र के मध्य में प्रदर्शित लौहे के फ्रेम के साथ स्टील/एल्यूमीनियम शीट पर रंगयुक्त बोर्ड का उपयुक्त आकार (5 फीट x 4 फीट)

(पीले रंग का बैकग्राउंड एवं लाल रंग में अक्षर)

ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित कार्यों/गतिविधियों के विवरणों को प्रदर्शित करने के लिए प्रारूप

गांव का नाम: _____ ग्राम पंचायत: _____

ब्लॉक:_____ वित्तीय वर्ष: _____

क्र. सं.	कार्य का नाम/गतिविधि	योजना का नाम	प्रारंभ करने की तिथि	पूर्ण होने की तिथि	कार्य/गतिविधि का मूल्य (रु.)

****

फा.सं. एन-11011 (iii)/1/2016-एफडी

भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

(राजकोषीय विकेंद्रीकरण प्रभाग)

11वीं मंजिल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग,

के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001

20th जून, 2016

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,

पंचायती राज विभाग,

सभी राज्य (संलग्न सूची के अनुसार)

विषय: ग्राम पंचायतों द्वारा लोगों और लाभार्थियों के सूचनार्थ शुरु किए गए कार्यों/गतिविधियों के विवरणों का प्रदर्शन।

महोदय/महोदया,

निधियों का उपयोग करते हुए ग्राम पंचायतों (जीपीज़) की ओर से "पारदर्शिता और जवाबदेही" लाने के लिए, यह आवश्यक है कि सभी उपलब्ध निधियों की प्राप्तियों तथा ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए व्यय को सार्वजनिक किया जाना आवश्यक है। चौदहवें वित्त आयोग अनुदान के मामले में भी वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 8/10/2015 को जारी दिशानिर्देशों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया था कि राज्य में लागू संगत नियमों, विनियम प्रक्रियाओं और कार्यविधियों के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा उचित योजनाएं तैयार करने के पश्चात मूलभूत सेवाएं प्रदान करने पर सभी व्यय किए जाने चाहिए।

2. चौदहवें वित्त आयोग अनुदानों सहित विभिन्न योजनाओं के तहत निधियों का उपयोग करते हुए विभिन्न कार्यों/गतिविधियों के निष्पादन की योजनाओं को तैयार करने में ग्राम पंचायतों को मदद करने हेतु पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पत्र दिनांक 4 नवंबर, 2015 सं. एम-11015/249/2015-डीई, को जारी दिशानिर्देश विभिन्न साधनों के माध्यम से पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर देता है, जिसमें ''जीपी स्तर पर संसाधन संग्रह का व्यापक विस्तार'', ''अनुमोदित योजनाओं एवं प्रत्याशित परिणामों के विवरणों का प्रकटन'', ''ग्राम पंचायतों के बेहतर स्थानों में वाल पेंटिंग एवं सूचना बोर्ड लगाना'' तथा ''सभी कार्य स्थलों पर नागरिक सूचना'' बोर्ड स्थापित करना शामिल है।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अनुरोध किया जाता है कि सभी राज्य सरकारें अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों को सलाह दें कि वे सभी संगत विवरण, वास्तविक एवं वित्तीय, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों/गतिविधियों पर स्थानीय आबादी की संवीक्षा तथा अन्य लाभार्थियों की सूचना के लिए चौदहवें वित्त आयोग अनुदानों का उपयोग करते हुए कार्यों सहित सभी योजनाओं के तहत सभी प्रकार के कार्यों के पूर्ण होने की समयावधि को सार्वजनिक रूप से सूचना पटल पर (बोर्ड) प्रदर्शित किया जाए। इस बारे में राज्यों में ग्राम पंचायतों को जारी अनुदेश की एक प्रति मंत्रालय के भी रिकार्ड हेतु भेजी जाए।

भवदीय,

(एस. के. पटजोशी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय

संलग्नक: डिस्प्ले बोर्ड का सैम्प्ल टेम्प्लेट।

ग्राम पंचायत क्षेत्र के मध्य में प्रदर्शित लौहे के फ्रेम के साथ स्टील/एल्यूमीनियम शीट पर रंगयुक्त बोर्ड का उपयुक्त आकार (5 फीट x 4 फीट)

(पीले रंग के बैकग्राउंड एवं लाल रंग में अक्षर)

ग्राम पंचायतों द्वारा शुरु किए गए कार्यों/गतिविविधियों के विवरणों को प्रदर्शित करने के लिए प्रारूप

गांव का नाम _____ ग्राम पंचायत _____

ब्लॉक_____ वित्तीय वर्ष _____

क्र. सं.	शुरु किए जा रहे कार्य	जिसके तहत योजना शामिल है	कार्य/गतिविधि शुरु करने की तिथि	कार्य/गतिविधि की समापन होने की तिथि	कार्य का कुल मूल्य (रु.)